कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 56 / FP/UK/ROAD/62388/2020 देहरादूनः दिनांकः 03 जुलाई, 2021

सेवा में,

सचिव प्रभारी,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.2 हे0 वन भूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को पत्यावर्तन।
(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/62388/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर (चमोली) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.9186 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 115 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

प्रस्ताव पर **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त,** प्रपत्र भाग–I से भाग–III ऑनलाईन प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/62388/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/गढवाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय–समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर (चमोली)।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड की सहमति के साथ प्रस्ताव पर संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

तिथि 02-07-2021

नाम और पदनाम

स्थान देहरादून,

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।